(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

सतराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा पुनर्विलोकन प्रा.पत्र मुकदमा नम्बर 01 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/2021	यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र ताज्जा न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2021 बउनवान सतराम बनाम राज्य सरकार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/02/2021 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जावे। ~~वकील~~ अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में दिनांक 24/06/2015 को निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। रेस्पोंडेन्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करने के संबंध में प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी आपके समक्ष अपील प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित को नहीं थी, जिसके कारण वकील श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपीलांटगण वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में कानूनी प्रक्रिया की पालना करवाकर न्याय चाहते हैं। अतः ताज्जा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/02/2021 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का निर्देश फरमावे। अपीलांट के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट ने स्वयं यह माना है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, जिससे	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की पूर्ण जानकारी थी एवं उनके द्वारा ताब्या न्यायालय के समक्ष उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए आदेश पारित करवाया है, जो कि न्यायिक तौर पर कतई उचित है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/06/2015 के पश्चात् उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने बाबत् रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी के संबंध वाद आदिनांक तक विचाराधीन है, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में ताब्या न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2021 वहनवान सताराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10/02/2021 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं स्वतः ही शून्य की श्रेणी में आता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ताब्या न्यायालय द्वारा अपील संख्या 10/2021 वहनवान सताराम बनाम सरकार सारहीन होने से अपास्त किया जाता है एवं सहायक कलक्टर आहोर तस्लगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय पारित करने बाबत् स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त ताब्या न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना मे राजस्व रेकर्ड में भरे गये समस्त इन्द्राज स्वतः ही शून्य माने जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर	